विशिष्ट उप जिलाधीश (एल.ए.)

बनाम

एन वासदेव राव और अन्य

दिनांक 28 नवम्बर, 2007

(डॉ. अरिजीत पसायत, लोकेश्वर सिंह पंत)

सिविल अपील 4649-4650/2004

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा दिया गया।

उपरोक्त अपीलों में आन्धप्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा अपीलकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत 4 पत्र पेटेंट अपील अर्थात 2002 के एलपीए नम्बर 184 तथा 185 एवं 2003 के एलपीए नम्बर 33 तथा 34 का निस्तारण करने वाले आदेश को चुनौती दी गई है।

विपक्षी तर्को का निस्तारण करने से पूर्व संक्षिप्त में प्रकरण की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर विचार किया जाना आवश्यक है।

24 एकड 82 सेंट की सीमा तक प्रश्नगत भूमि सरकारी भूमि है जो कि डी फार्म पट्टो के आधार पर प्रत्यर्थीगण को दिया जाना बताया गया है। पट्टो के नियम व शर्तो के अनुसार जब भी भूमि की किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यकता होगी तब सरकार उक्त भूमि को एक निश्चित अनुग्रह राशि का भुगतान कर पुन-ग्रहित कर सकेगी।

संबंधित अधिशासी अभियन्ता एसआरबीसी खण्ड, कोयलाकुन्टला द्वारा कथित रूप से ओकमण्डल के चेरोपल्ली गांव में स्थित 24 एकड 82 सेंट भूमि जो कि प्रश्नगत भूमि है को अधिग्रहित करने का प्रस्ताव भेजा। तदनुसार राजस्व अधिकारियों ने भूमि का सर्वेक्षण किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वास्तविक रूप से मात्र 20 एकड 75 सेंट भूमि ही सम्मिलित है तथा यह भूमि सरकारी भूमि है और इसलिए भूमि के पुन:ग्रहण का प्रस्ताव अग्रेषित किया गया।

प्रत्यर्थीगण की ओर से रिट याचिका संख्या 6511/1999 तथा रिट याचिका संख्या 6513/1999 संस्थित की गई जिसमें यह कहा गया कि अपीलार्थीगण ने जीओएम संख्या 1307 दिनांक 23-12-1993 के नियमों के अन्तर्गत अनुग्रह राशि का भुगतान किए बिना अपनी भूमि को पुन:ग्रहण कर लिया है।

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सम्मिलित निर्णय तथा आदेश दिनांक 11-08-1999 याचिका संया 6500 तथा 6513/1999 का निपटारा करते हुए प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया कि वे एक विस्तृत प्रतिवेदन चार सप्ताह के अंदर प्राधिकारियों को प्रस्तुत करे तथा प्राधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे उक्त पर विचार करते हुए समुचित आदेश छः सप्ताह की अवधि के भीतर पारित करे। इसके पश्चात प्रत्यर्थीगण द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका संख्या 493/2001 तथा अवमानना याचिका संयास 1211/2001 प्रस्तुत करते हुए यह आक्षेपित किया गया कि

न्यायालय के आदेश के बावजूद अनुगृह राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अपीलार्थीगण की ओर से विस्तृत जवाबी शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए उपरोक्त अवमानना याचिकाओं में यह बताया गया कि प्रश्नगत भूमि का पुन:ग्रहण नहीं किया गया है तथा प्रश्नगत आक्षेपित भूमि में से अर्थात 24.82 एकड में से केवल मात्र 2.40 एकड भूमि में से ही मिट्टी निकाली गई है और इसी कारण प्रत्यर्थीगण सम्पूर्ण भूमि की सीमा तक अनुग्रह राशि का भुगतान प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रकरण पर विचार करते हुए एक संयोजित आदेश दिनांक 11.09.2002 के माध्यम से दोनो अवमानना याचिकाओं के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया कि विभाग ने प्रश्नगत भूमि को पुन:ग्रहित किया है, संबंधित अधिकारियों को दोषमुक्त किया गया तथा जीएमओ संख्या 1307 दिनांक 23.12.1993 के नियमों के अनुसार सम्पूर्ण भूमि की सीमा तक अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु निर्देशित किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध एलपीए संख्या 184 तथा 185/2002 संस्थित की गई। एक अन्य एलपीए संख्या 33/2003 नगरपालिका आयुक्त, टूनी द्वारा संस्थित की गई। तृतीय पक्षकारों द्वारा एलपीए संख्या 34/2003 के साथ एक विविध याचिका आदेश के विरूद्ध एलपीए प्रस्तुत करने पर की गई देरी को क्षम्य करते हुए याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत की गई। उनके द्वारा एक अन्य विविध

याचिका नगरपालिका को नीलामी के नियम व शर्तो के अनुसार दुकान का कब्जा परिदत्त करने हेतु निर्देशित करने के लिए भी प्रस्तुत की गई। उपरोक्त दोनों अपील राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय के एलपीए अपील में जारी किए गए संयोजित आदेश के विरूद्ध संस्थित की गई।

उपरोक्त अपीलों में जो तर्क लिया गया, वह इस प्रकार है : मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश को इस तरीके से निर्देश दिए जाने का क्षेत्राधिकार नहीं है जबकि वे अवमानना याचिकाओं का निस्तारण कर रहे हो । किसी भी परिस्थिति में, विद्वान एकल न्यायाधीश को क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि उनका आदेश खण्डपीठ के आदेश में विलय हो जाता है। अन्त में यह बताया गया कि एलपीए पोषणीय नहीं है।

दूसरी ओर प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया कि रिट याचिकाओं में पारित किए गए आदेश की स्पष्ट अवमानना की गई है तथा यह प्रत्यर्थीगण के वैध दावे से इंकार किए जाने का जबरदस्त प्रयास किया गया है। भूमि दिनांक 18.11.1998 को पुनःग्रहित की गई तथा तब से अब तक प्रत्यर्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में कोई भुगतान नहीं किया गया है। यह दिखाने के लिए कि प्रत्यर्थीगण की भूमि पुनःग्रहित कर ली गई नगरपालिका ओकमण्डलम के राजस्व अधिकारियों एवं विशिष्ट उप जिलाधीश, नन्दयाल के मध्य हुए विभिन्न पत्राचारों का संदर्भ दिया गया।

इस न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणों में अवमानना याचिकाओं में पारित किए जा सकने वाले आदेश की प्रकृति से संबंधित विधि को विस्तृत रूप से निर्धारित किया गया है। भारत संघ और अन्य बनाम सूबेदार देवासी पीवी [2006(1)एससीसी 613] में यह अभिनिर्धारित किया गया-

> "अवमानना क्षेत्राधिकार का उपयोग करने वाले न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न पक्षकार जिसके द्वारा निर्णय या आदेश के निर्देशों की पालना करने में चूक करने का आरोप है उसका अवमानना आचरण है। यदि आदेश में कोई अस्पष्टता या अनिश्चितता नहीं है, तो संबंधित पक्षकार जिसके द्वारा वह विधिक रूप से मान्य नहीं है, उसे उच्चतर न्यायालय के समक्ष जाना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न आवश्यक रूप से उच्चतर न्यायालय के समक्ष उठाया जाना चाहिए। अवमानना क्षेत्राधिकार का उपयोग करने वाला न्यायालय इस प्रकार से मूल कार्यवाही को निस्तारित करने की शक्ति अपने उपर नहीं ले सकता जिस प्रकार से निर्णय या आदेश पारित करने वाले न्यायालय द्वारा निर्धारित नहीं की गई थी। हालांकि अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा 3 न्यायाधिपतियों की पीठ के निर्णय जो नियाज मोहम्मद बनाम हरियाणा राज्य [(1994)6 एससीसी 332] में दिया गया, पर मजबूत भरोसा प्रस्तुत किया गया, परन्तु हम यह

पाते है कि वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर यह लागू नहीं होता है। इस प्रकरण में आदेश की पालना की असंभवता का प्रश्न उत्पन्न हुआ था। यदि अपीलार्थी का यह तर्क है, तो वे केवल उच्चतर न्यायालय के समक्ष निर्णय की शुद्धता को चुनौती दे सकते है।"

उक्त स्थिति पूर्व में पृथ्वी नाथ राम बनाम झारखण्ड राज्य [(2004)7 एससीसी 261] में उजागर की गई। यह प्रकट होता है कि क्षेत्रफल के संबंध में भी विवाद है, इसलिए अवमानना याचिका में जिस प्रकार से निर्देश दिए गए वे नहीं दिए जा सकते। खण्डपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि एलपीए पोषणीय नहीं है। मिदनापुर पीपुल्स कोरपोरेशन बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम चुनीलाल नन्दा और अन्य [2006(5)एससीसी 399] के अनुसार एलपीए स्पष्ट रूप से पोषणीय नहीं है।

ललिथ माथुर बनाम एल. माहेश्वर राव [2000(10)एससीसी 285] में अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित किया गया कि :

"उपरोक्त यह प्रकट करेगा कि उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को प्रत्यर्थीगण को किसी सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में समाहित करने हेतु निर्देशित किया गया। हमारी राय में यह आदेश पूर्ण रूप से क्षेत्राधिकार के बाहर है तथा न्यायालय की अवमानना

अधिनियम या संविधान के अनुच्छेद 215 के अधीन कार्यवाही में पारित नहीं किया गया जा सकता।"

खण्डपीठ के दो निर्णय जिनमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि एकल न्यायाधीश के समक्ष अवमानना याचिका पोषणीय नहीं है क्योंकि उनका आदेश खण्डपीठ के आदेश में विलय हो जाता है, पर निर्भरता रखी गई। जहां तक ललिथ माथुर के प्रकरण का संबंध है, उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को इस आधार पर अलग किया कि निर्णय में विस्तृत विवेचन नहीं किया गया और इसलिए कोई कारण स्पष्ट नहीं होता है। संक्षिप्त में उच्च न्यायालय द्वारा जो विशिष्टिताएं निर्णय की पालना नहीं किए जाने के संबंध में बताई गई, वे शालीन नहीं कहीं जा सकती। यह स्पष्ट रूप से न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन है। यह बताया गया है कि कुछ व्यक्तियों को भुगतान किया गया है और वर्तमान प्रकरण में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वास्तव में ऐसी कोई निश्चित सामग्री नहीं है कि क्या भूमि पुन:ग्रहित की गई या यह खुदाई की गई भूमि थी।

अभिलेख से यह प्रकट होता है कि तीन जवाबी शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए तथा आधारभूत विवाघकों में से एक यह था कि क्या भूमि पुन:ग्रहित है या खुदाई की गई भूमि है। प्रत्यर्थीगण द्वारा इस संबंध में कोई निश्चित सामग्री अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत तीन जवाबी शपथ पत्र स्पष्ट रूप से उनके निश्चित आधार का संकेत देते है। न तो एकल न्यायाधीश ने न ही खण्डपीठ ने आधारभूत

विवाधक को संबोधित किया तथा दूसरी ओर आकस्मिक निष्कर्ष पर पहुंचे। इसलिए एकल न्यायाधीश तथा खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है, जैसा कि हम निर्देशित करते है। हालांकि प्राधिकारी इस मामले पर विस्तृत रूप से विचार करेगें तथा जीओ, तथ्यात्मक स्थिति और जो साक्ष्य उनके समक्ष प्रस्तुत की गई है, को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष अभिलिखित करेंगे। अपीलें तदनुसार बिना किसी शुल्क के निस्तारित की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्वेता शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।